

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 638/13

संस्थापन दिनांक:-31/12/13

फाईलिंग नं. 233504000402013

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. खेमचंद पिता संतोष यादव, उम्र 26 वर्ष
2. प्रेमचंद पिता संतोष यादव, उम्र 24 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम काजी जामठी आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 19.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.12.2013 को दोपहर 03:00 बजे गुरुदयाल के खेत के पास काजी जामठी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी मुन्नालाल को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को लकड़ी व पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 23.12.2013 को दिन में करीब 3 बजे गाड़ी बैल लेकर खेत जा रहा था। जैसे ही वह गाड़ी बैल लेकर गुरुदयाल के खेत के पास पहुंचा जहां रोड पर खेमचंद किराड का ट्रैक्टर खड़ा था जिस पर उसने ट्रैक्टर बाजू में करने का कहा तो अभियुक्तगण उसे मां बहन की गाली देने लगे। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त खेमचंद ने उसे लकड़ी से सिर पर मारा और अभियुक्त प्रेमचंद ने उसे पत्थर से दाहिने हाथ पर मारा। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर

थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 495/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त खेमचंद से एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी मुन्नालाल को लकड़ी व पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 पिंटू (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण मुन्नालाल यादव को गाली गलौच कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इस संबंध में फरियादी मुन्ना यादव (अ.सा.-1) एवं साक्षी गजानंद (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी पिंटू (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को गाली गलौच दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 साक्षी मुन्ना यादव (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने धमकी दी थी कि तुझे यहीं पर खत्म कर देंगे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी मुन्ना यादव (अ.सा.-1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 मुन्ना यादव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है

कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी। अभियुक्त खेमचंद ने लकड़ी की पिरानी से मारा था और अभियुक्त प्रेमचंद ने पत्थर से मारा था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसे सिर पर चोट आयी थी और सात टांके भी लगे थे।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 23.12.2013 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मुन्ना का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर के बांये तरफ 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव एवं दाहिने गाल पर 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी मुन्ना यादव (अ.सा.-1) के कथनों से आहत मुन्ना यादव को अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 कोमल खेड़ले (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 26.12.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 495/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-4) एवं दिनांक 31.12.2013 को अभियुक्त खेमचंद से एक बांस की लाठी जप्त कर (प्रदर्श पी-5) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्तगण प्रेमचंद एवं खेमचंद को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी मुन्नालाल के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में गजानंद (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु स्वतंत्र साक्षी के समर्थन न किये जाने मात्र से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है।

13 साक्षी पिंटू (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिन में 1-2 बजे की है। वह अपने खेत से घर तरफ आ रहा था।

अभियुक्त खेमचंद का ट्रैक्टर रास्ते पर खड़ा हुआ था। फरियादी मुन्नालाल सामने से बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। फरियादी मुन्नालाल ने अभियुक्त खेमचंद से कहा कि ट्रैक्टर हटा लो, इसी बात पर अभियुक्तगण ने मुन्नालाल से मारपीट की। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने फरियादी को बचाने की कोशिश की थी लेकिन अभियुक्तगण लकड़ी और पत्थर से मार रहे थे तो वह अपनी जान बचाकर भाग गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्तगण और फरियादी के बीच विवाद हो रहा था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि झगड़े के समय मौके पर और कौन लोग थे।

14 साक्षी पिंटू (अ.सा.-2) ने न्यायालय में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किये हैं तथा अभियुक्तगण के द्वारा लकड़ी और पत्थर से मारना बताया है जबकि अभियोजन कथा यह नहीं है। साथ ही साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर आया था तब विवाद हो रहा था। किसी बात पर शुरू हुआ उसे नहीं मालूम। फरियादी मुन्ना ने भी मौके पर उक्त साक्षी की उपस्थिति बतायी है। यद्यपि साक्षी पिंटू (अ.सा.-2) ने न्यायालय में बढ़चढ़कर कथन किये हैं परंतु फिर भी साक्षी के कथनों से इतनी तो सहायता प्राप्त होती है कि अभियुक्तगण एवं फरियादी के बीच में विवाद हुआ था।

15 मुन्ना यादव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह बैलगाड़ी लेकर खेत की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह गुरुदयाल के खेत के पास पहुंचा तब उसने देखा कि अभियुक्तगण ने रास्ते में अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है। उसने अभियुक्त खेमचंद से कहा कि ट्रैक्टर बाजू में कर लो परंतु उन्होंने ट्रैक्टर नहीं हटाया और ट्रैक्टर से उतरकर उसकी मारपीट करने लगे। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्त खेमचंद ने उसे सिर पर लकड़ी की पिरानी से मारा था और अभियुक्त प्रेमचंद ने पत्थर से मारा था। सिर पर जो चोट आयी थी उसमें सात टांके भी लगे थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जिस रास्ते से वह जा रहा था उस रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता भी उसके खेत में जाने के लिए था। साक्षी ने यह बताया है कि दूसरे रास्ते पर चक्कर ज्यादा था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि ट्रैक्टर को देखकर बैल बिचक गये थे जिससे उसे चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त खेमचंद ने उसे लकड़ी से कंधे पर मारा था। पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि गाड़ी चलाने की पिरानी से अभियुक्त प्रेमचंद ने उसे मारा था।

16 बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी तुलसीराम (ब.सा.-1) को परीक्षित कराया गया है। तुलसीराम (ब.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके खेत के पास की है। घटना के समय वह गन्ना काट रहा था।

जिस रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा था उस रास्ते से एक साथ गाड़ी और ट्रैक्टर निकल सकते हैं। साक्षी ने आगे यह बताया है कि ट्रैक्टर की आवाज सुनकर फरियादी के बैल बिचक गये थे जिससे गिर जाने के कारण उसे चोट आयी थी परंतु फरियादी ने पुरानी रंजिश के कारण झूठी रिपोर्ट लिखा दी तथा अभियुक्त प्रेमचंद तो मौके पर था ही नहीं उसे फोन करके डीजल लाने के लिए बुलाया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि फरियादी अपनी बैलगाड़ी लेकर आया था और अभियुक्त से कहा था कि ट्रैक्टर हटवाओ परंतु साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने लकड़ी के पिराने से सिर पर मारा था।

17 आहत मुन्नालाल के चिकित्सकीय परीक्षण में आहत के सिर के बांयी तरफ और दाहिने गाल पर चोट पायी गयी है। किसी व्यक्ति के गिरने पर उसके शरीर के दो विपरीत भागों पर चोट आना अत्यन्त अस्वाभाविक है। साथ ही बचाव साक्षी तुलसीराम के कथनों से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि फरियादी घटना के समय बैलगाड़ी लेकर जा रहा था और अभियुक्त से ट्रैक्टर हटाने के लिए भी कहा था। फलतः बचाव पक्ष को बचाव साक्षी के कथनों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 23.12.2013 की दिन के लगभग 03:00 बजे की है तथा फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही लगभग शाम 04:00 बजे लेख करा दी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार अभियुक्त खेमचंद के द्वारा लकड़ी से फरियादी को सिर पर मारा गया और अभियुक्त प्रेमचंद ने पत्थर से उसे मारा जिससे उसे दाहिने हाथ पर चोट आयी। फरियादी मुन्ना यादव को चिकित्सकीय परीक्षण में सिर पर एवं दाहिने गाल पर चोट पायी गयी परंतु साक्षी के दाहिने हाथ में कोई भी प्रत्यक्ष दर्शी चोट या दर्द नहीं पाया गया है। फरियादी मुन्ना यादव ने अभियुक्त खेमचंद के द्वारा लकड़ी की पिरानी से उसके सिर पर मारना बताया है तथा इस तथ्य पर फरियादी पूर्णतः अखंडित रहा है लेकिन अभियुक्त प्रेमचंद के द्वारा पत्थर से मारा जाना एवं दाहिने हाथ पर चोट आना बताया है परंतु आहत के हाथ पर कोई भी चोट नहीं पायी गयी है। अभिलेख पर अभियुक्त प्रेमचंद के द्वारा फरियादी मुन्नालाल को मारपीट किये जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साथ ही स्वयं फरियादी के अभियुक्त प्रेमचंद के द्वारा उसे पत्थर से मारे जाने की साक्ष्य न तो किसी अन्य साक्षी के कथनों से संपुष्ट है और न ही चिकित्सकीय साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट से संपुष्ट है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त प्रेमचंद के द्वारा अभियुक्त खेमचंद के साथ मिलकर आहत मुन्नालाल यादव को मारपीट किया जाना अभियोजन के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। फलतः अभियुक्त प्रेमचंद को संदेह का लाभ प्रदाय किया जाता है परंतु अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित

करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त खेमचंद ने लकड़ी की पिरानी से फरियादी मुन्नालाल यादव को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

19 अभियुक्त खेमचंद द्वारा फरियादी को लकड़ी के पिरानी से मारपीट करना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसे तथ्य नहीं हैं कि फरियादी के द्वारा अभियुक्त खेमचंद को प्रकोपन दिया गया है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

20 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण खेमचंद एवं प्रेमचंद ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मुन्नालाल को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। साथ ही अभियोजन यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त प्रेमचंद ने फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की परंतु अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त खेमचंद के द्वारा फरियादी मुन्ना यादव को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। **फलतः अभियुक्त प्रेमचंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से तथा अभियुक्त प्रेमचंद को धारा 294, 506 भाग-दो भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त खेमचंद को धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।** अभियुक्त प्रेमचंद को तत्काल रिहा किया जावे।

21 अभियुक्त खेमचंद की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

22 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए०डी०पी०ओ० के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है तथा फरियादी एवं अभियुक्त एक ही गांव के निवासी हैं। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए०डी०पी०ओ० का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी को लकड़ी से मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

23 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट कर उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

24 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्ता एवं फरियादी एक ही ग्राम में रहने वाले हैं। आहत को साधारण स्वरूप की उपहति कारित हुई है। अतः मामले की परिस्थितियों के विचारोपरांत अभियुक्त खेमचंद को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया जाता है तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त खेमचंद को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

25 प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

26 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत मुन्नालाल पिता दमडू यादव, निवासी काजी जामठी, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

27 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया

जावे।

28 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)